न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22 / 23 वाद GCMS NO : 2023/00050

पूर्व प्रकरण संख्या : 82 / 17

1. श्री श्यामसुन्दर सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन सुथार
2. श्रीमती पन्ना बाई पत्नी स्वर्गीय श्री देवकिशन जी
3. श्री गोवर्धनलाल सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन जी
4. श्री विष्णुशंकर सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन जी
5. श्री भगवती लाल सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन जी
6. श्री नारायण लाल सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन जी
7. श्रीमती लीला पुत्री स्वर्गीय श्री देवकिशन जी
8. श्री शान्तिलाल सुथार पिता स्वर्गीय श्री हमेरलाल जी सुथार
9. श्रीमती मोहनी पत्नी श्री मोहनलालजी सुथार पिता स्वर्गीय श्री हमेरलाल जी
10. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री उदयलाल जी सुथार पुत्री स्व. श्री हमेरलाल जी
11. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री जमनालाल जी सुथार
12. श्री चुन्नीलाल जी सुथार पिता स्वर्गीय जमनालाल जी सुथार
13. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. किशनलालजी सुथार पुत्री स्वर्गीय जमनालालजी
14. श्रीमती बृज कुमारी पत्नी श्री ललित जी सुथार पुत्री स्व. श्री जमना लाल जी
15. श्री राकेश कुमार सुथार पिता स्वर्गीय हुकमीचंद जी सुथार
16. श्रीमती हेमलता सुथार पत्नी स्वर्गीय हुकमीचंद जी सुथार
17. श्रीमती सुशीला पत्नी स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार
18. श्रीमती ललिता सुथार पुत्री स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार
19. श्रीमती प्रमिला सुथार पुत्री स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार
20. श्री दिनेश कुमार सुथार पुत्र स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार
21. श्री सुरेश कुमार सुथार पुत्री स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार
22. श्री लक्ष्मीलाल जी सुथार पिता स्वर्गीय डालचन्द जी सुथार
23. श्री हेमंत कुमार सुथार पिता स्वर्गीय डालचन्द जी सुथार
24. श्री सतीश कुमार सुथार पिता स्वर्गीय डालचन्द जी सुधार

समस्त निवासियान– तितरड़ी, तहसील – गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

.....वादीगण

बनाम

1. श्री खेमराज सुथार पुत्र स्व. श्री दौलतराम उर्फ दोला जी सुथार
2. श्री वरदीचंद सुथार पुत्र स्व. श्री दौलतराम उर्फ़ दोला जी सुथार
3. श्री ओमप्रकाश सुथार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सुथार
4. श्री राकेश सुथार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सुथार
5. दुर्गा सुथार पुत्री स्व. श्री मोहनलाल सुथार समस्त निवासियान– गाँव– तितरडी सुथारों का मोहल्ला, तह.– गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :– श्री मुकेश गौड़ अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक :10.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है यह की यह कि राजस्व ग्राम तितरडी, पटवार क्षेत्र तितरडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवीना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में वादीगण कि पैत्रिक कृषि आराजियात स्थित है उक्त आराजियात जिसमे हाल आराजी नम्बर 2030 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टयर, जिसका साबिक आराजी नम्बर 276 रकबा 0.1600 हेक्टेयर है, जो सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में श्री डालचन्द पिता भीमा जी सुथार के नाम पर था। उक्त आराजियात को पचोलिया वाला खेत के नाम से जाना जाता है एवम् जिस पर वादीगण का आधिपत्य एवं कब्जा होकर वादीगण और उसके परिवारजन बरसों से कमाते आ रहे है किन्तु उक्त आराजी सेटलमेंट के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारियों कि लापरवाही एवं त्रुटी के कारण स्वर्गीय श्री दौला उर्फ दौलतराम पिता लाल जी के नाम दर्ज हो गई और स्वर्गीय श्री दौलतराम जी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के नाम और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पिता श्री मोहनलाल सुधार के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त आराजियात से श्री दौलतराम जी सुधार का कोई सम्बन्ध नहीं था और न ही उक्त आराजियात के आस–पास स्वर्गीय श्री दौलतराम जी की आराजियात ही थी । वादीगण को उक्त बात की जानकारी हाल ही में हुई जब वादीगण ने किसी कारणवश राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तब ज्ञात हुआ की उनका पचोलिया वाला खेत राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया है और आराजी नम्बर 2030 साबिक नम्बर 276 के स्थान पर 277 से बना दिया गया जबकि साबिक नम्बर 277 की कोई भूमि नहीं बची थी। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

दुरस्ती करा उक्त आराजियात पुनः स्वर्गीय श्री डालचंद जी के वारिसान अर्थात वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करावे लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा लगातार झगड़ा एवं विवाद किया जाता रहा है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होने के उपरान्त भी बंदोवस्त अधिकारयों की त्रुटी के कारण प्रतिवादीगण का नाम एवं स्वर्गीय श्री दौलतराम जी सुधार का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया उसके स्थान पर इन्द्राज दुरस्ती कर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब अवसर बंद कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 श्याम सुन्दर पिता स्वर्गीय देवकिशन जी सुथान का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिकार पत्र प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, खाता संख्या 155 के जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 प्रदर्श–3, प्रतिवादी की जमाबन्दी संवत् 2027–2030 प्रदर्श–4, वादी की जमाबन्दी संवत् 2027–2030 प्रदर्श–5, खसरा मिलान प्रदर्श–6, खाता संख्या जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 प्रदर्श–7 है। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर No Instruction प्लीड किया गया। प्रतिवादी को उपस्थिति हेतु सूचना पत्र भेज गए बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा जमाबंदी संवत 2042 की खाता संख्या 406 पर आराजी नम्बर 2030 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टयर किस्म कु.द्वितीय 0.0600 बीड द्वितीय 0.1000 लगान 1.56 श्री खेमराज मोहनलाल वरदीचन्द पिता दौला सुधान सा. देह खातेदार मु.बी.क. उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर, मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 277 रकबा पांच बिस्वा से बना है। उक्त साबिक आराजी नम्बर 277 रकबा पांच बिस्वा जमाबंदी संवत 2031 से 2034 की खाता सख्या 314 पर श्री दोला पिता लाला सुथार सा. देह राहिन उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–2077 की खाता संख्या 155 पर आराजी नम्बर 2030 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टयर, (1) खेमराज पुत्र दोला सुधार 1/3 हि., (2) मोहनलाल पुत्र दोला सुथार 1/3 हि. (3) वरदीचन्द पुत्र दोला सुथार 1/3 हि. के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो साबिक नामान्तरकरण संख्या 552 विरासत से दर्ज हुआ है। मौतबिरान अनुसार आराजी नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर पर वर्तमान में सतीशकुमार पिता डालचन्द जी सुथार नि. तीतरड़ी का कब्जा है। वर्तमान में उक्त आराजी पड़त है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर, साबिक आराजी नम्बर 277 रकबा पांच बिस्वा से बना है। पांच बिस्वा का हाल क्षेत्रफल 0.0540 हैक्टयर बनता है जिसको 0.1600 हैक्टयर, दर्शाया गया है जो साबिक रकबे के मुकाबले 0.1060 हैक्टयर, बेशी हो गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद द्वारा जवाब एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित अपने अभिकथनों को दोहराया जिसमें उन्होंने बताया कि भू–प्रबन्धन विभाग के अधिकारियों द्वारा वादीगण के पूर्वज स्वर्गीय श्री डालचन्द उर्फ डालु जी सुथार के नाम दर्ज पंचोलिया वाला खेत जिसके साबिक आराजी नम्बर 276 थे। जिसकों गलती से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 के पूर्वज श्री दौला पिता लाला सुथार के नाम दर्ज हो गई। हमने उस सम्बन्ध में सभी दस्तावेज पेश किए गए। अतः भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गलती को सुधार करते हुए ग्राम तितरड़ी पटवार मण्डल तितरड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवीना तहसील–गिर्वा, उदयपुर के हाल आराजी नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण की बजाय वादीगण के नाम दर्ज की जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अवलोकन पश्चात् पत्रावली का संक्षिप्त निष्कर्ष यह है कि वादीगण के पूर्वज दौला वल्द भीमा की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि जो प्रदर्श–5 है, सम्वत् 2027 से 2030 खाता संख्या 294 के आराजी नम्बर ग्राम तितरड़ी, पटवार मण्डल तितरड़ी, तहसील गिर्वा के के आराजी नम्बर 274 रकबा 0.1620 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड था। उक्त खेत को पंचोलिया वाला खेत कहा जाता था। तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खेत का साबिक नम्बर 276 रकबा 15 बिस्वा है जिसका भू–प्रबन्ध के पूर्व का साबिक नक्शा व भू–प्रबन्ध के बाद के साबिक नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर का साबिक नक्शे का मिलान करने पर समान दर्शित होते है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी नम्बर 2030 का हाल नक्शे एवं साबिक नक्शें का पेन्टोग्राफ करने पर साबिक आराजी नम्बर 276 के नवीन आराजी नम्बर 2030 बनना प्रतीत होता है, जो प्रस्तुत हाल व साबिक नक्शे से प्रमाणित होता है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रदर्श दस्तावेज प्रदर्श–4, प्रदर्श–5, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें साबिक आराजी नम्बर 276 रकबा 15 बिस्वा एवं हाल आराजी नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर जो बराबर है। तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट के अनुसार आराजी नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर वर्तमान में सतीश कुमार पिता डालचन्द जी सुथार निवासी–तितरड़ी का कब्जा है, जो डालचन्द पिता भीमा के वारिसान है।

आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ संख्या 514 से 517 विष्णु व अन्य बनाम ठाकुरा जी राधा गोपाल जी जिसमें सेटलमेन्ल्ट विभाग को इन्द्राज परिवर्ततन करने का अधिकार नहीं है। भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा काश्तकारों के रकबे को कम या ज्यादा करने का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जिसमें वादी के कब्जे काश्त की भूमि राजस्व ग्राम तितरड़ी, पटवार मण्डल तितरड़ी, तहसील गिर्वा जिसमें पंचोलिया वाला खेत आराजी नम्बर 276 जो भू–प्रबन्धन के पूर्व वादी के पूर्वज डालु पिता भीमा के नाम दर्ज था। जो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवम् तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पूर्वज डालु पिता भीमा के कब्जे काश्त की भूमि को परिवर्तन करने का, किसी अन्य काश्तकार के नाम करने का कोई अधिकार नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा साबिक आराजी नम्बर व हाल आराजी नम्बर के नक्शों का भी मिलान किया गया, जो समान है एवम् तहसीलदार की रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित है। जिसमें तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट में बताया कि हाल नक्शे व साबिक नक्शें का पेन्टोग्राफ करने पर साबिक आराजी नम्बर 276 रकबा 15 बिस्वा से हाल आराजी नम्बर 2030 रकबा 0. 1600 हैक्टयर बनना प्रतीत होता है, जो नक्शे द्वारा प्रमाणित है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा प्रमुख कार्य भूमि का सर्वेक्षण करना, भू–अभिलेखों व नक्शों को तैयार करना, लगान निर्धारण करना है। जिसमें तत्तकालीन स्थिति के आधार पर खसरों का नवीन नम्बर, पूर्व एक से अधिक खसरों को जोड़कर नये खसरें बनाना, एक खसरों को तोड़कर एक से अधिक खसरें बनाना, खसरों के नवीन नम्बर बनाना जिसको मिलाना खसरा पत्रंक में दर्शाना होता है। भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा किसी भी काश्तकार के राजस्व रेकार्ड में अंकन भूमि का रकबा कम करने का, उनका राजस्व रेकार्ड से नाम हटाने का एवम् किसी काश्तकार के राजस्व रेकार्ड में अंकन भूमि का किसी अन्य काश्तकार के नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 ग्राम तितरड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर खाता संख्या 294 जो प्रदर्श–5 है। मिलान खसरा पत्र जो प्रदर्श–6 है, हाल नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 155 ग्राम तितरड़ी, पटवार मण्डल तितरड़ी, तहसील गिर्वा जो प्रदर्श–3 है। हाल नक्शा प्रदर्श–2 है एवम् हाल व साबिक आराजी का पेन्टाग्रॉफ नक्शा, पत्रावली में संलग्न तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट एवम् अन्य सभी दस्तावेजों से न्यायालय इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट है कि भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा डालु उर्फ डालचन्द वल्द भीमा के नाम साबिक आराजी नम्बर 276 रकबा 15 बिस्वा के नाम दर्ज थी, जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से दौला पिता लाला के नाम दर्ज हो गई। जिसकों सही कर पुनः दौला पिता लाल के वारिसानों के बजाय डालु उर्फ डालचन्द पिता भीमा के वारिसानों के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवम् प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णित कर डिक्री किया जाता है कि दौला पिता लाला के वारिसान खेमराज पुत्र दौला, मोहनलाल पुत्र दौला, वरदीचन्द पुत्र दौला के नाम साबिक आराजी नम्बर 276 रकबा 15 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर **राजस्व ग्राम तितरड़ी, पटवार मण्डल तितरड़ी, सम्वत् 2074 से 2077 तहसील गिर्वा खाता संख्या 155 के आराजी नम्बर 2030 क्यारा रकबा 0.1600 हैक्टयर किस्म कु. द्वितीय 0.0600 बीड़ द्वितीय 0.1000 हैक्टयर लगान 1.56 रूपये जो प्रतिवादीगण खेमराज पुत्र दौला हिस्सा 1/3 जाति सुथार , मोहनलाल पुत्र दौला हिस्सा 1/3 जाति सुथार, वरदीचन्द पुत्र दौला हिस्सा 1/3 जाति सुथार की बजाय डालु उर्फ डालचन्द वल्द भीमा के वारिसान जो वादीगण [illegible] के 7 पुत्र देवकिशन, हमेरलाल,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

जमनालाल, लक्ष्मीलाल, भेरूलाल, हेमन्त कुमार एवं सतीश कुमार है। देवकिशन के फौत हो जाने से उनके वारिसान **पुत्र गोवर्द्धन लाल, विष्णुशंकर, श्यामसुन्दर, भगवतीलाल, नारायणलाल एवं पुत्री लीलाबाई तथा पत्नि पन्नाबाई है। हमेरलाल** के फौत हो जाने से उनके पुत्र **शांतिलाल, पुत्री मोहनीदेवी एवं पत्नि भंवरीदेवी है**। **भेरूलाल** के फौत हो जाने से पुत्र **दिनेश कुमार ,सुरेश कुमार एवम् पुत्री ललिता सुथार व प्रमिला सुथार है तथा पत्नि सुशीला सुथार है। जमनालाल** के फौत हो जाने से उनके **पुत्र चुन्नीलाल, व पुत्र हुकमीचन्द है एवम् जमनालाल की दो पुत्री बृजकुमारी एवं पुष्पाकुमारी है। । जमनालाल के पुत्र हुकमीचन्द के भी फौत हो जाने से उनके पुत्र राकेश एवं पत्नि हेमलता है। स्वर्गीय डालु उर्फ डालचन्द के तीन पुत्र लक्ष्मीलाल, हेमन्त कुमार व सतीश कुमार जो वर्तमान में जीवित है।** अतः डालु के वारिसानों जो सभी वादीगण है, जिनको खातेदार घोषित किया जाता है एवम् प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार डिक्री अनुसार डालु उर्फ डालचन्द पिता भीमा के सभी वारिसानों का हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 22/23 सन 2023 अनवान (1) श्री श्यामसुन्दर सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन सुथार (2) श्रीमती पन्ना बाई पत्नी स्वर्गीय श्री देवकिशन जी (3) श्री गोवर्धनलाल सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन जी (4) श्री विष्णुशंकर सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन जी (5) श्री भगवती लाल सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन जी (6) श्री नारायण लाल सुथार पुत्र स्वर्गीय श्री देवकिशन जी (7) श्रीमती लीला पुत्री स्वर्गीय श्री देवकिशन जी (8) श्री शान्तिलाल सुथार पिता स्वर्गीय श्री हमेरलाल जी सुथार (9) श्रीमती मोहनी पत्नी श्री मोहनलालजी सुथार पिता स्वर्गीय श्री हमेरलाल जी (10) श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री उदयलाल जी सुथार पुत्री स्व. श्री हमेरलाल (11) श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री जमनालाल जी सुथार (12) श्री चुन्नीलाल जी सुथार पिता स्वर्गीय जमनालाल जी सुथार (13) श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. किशनलालजी सुथार पुत्री स्वर्गीय जमनालालजी (14) श्रीमती बृज कुमारी पत्नी श्री ललित जी सुथार पुत्री स्व. श्री जमना लाल जी (15) श्री राकेश कुमार सुथार पिता स्वर्गीय हुकमीचंद जी सुथार (16) श्रीमती हेमलता सुथार पत्नी स्वर्गीय हुकमीचंद जी सुथार (17) श्रीमती सुशीला पत्नी स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार (18) श्रीमती ललिता सुथार पुत्री स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार (19) श्रीमती प्रमिला सुथार पुत्री स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार (20) श्री दिनेश कुमार सुथार पुत्र स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार (21) श्री सुरेश कुमार सुथार पुत्री स्वर्गीय भेरुलाल जी सुथार (22) श्री लक्ष्मीलाल जी सुथार पिता स्वर्गीय डालचन्द जी सुथार (23) . श्री हेमंत कुमार सुथार पिता स्वर्गीय डालचन्द जी सुथार (24) श्री सतीश कुमार सुथार पिता स्वर्गीय डालचन्द जी सुधार समस्त निवासियान– तितरडी, तहसील – गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री खेमराज सुथार पुत्र स्व. श्री दौलतराम उर्फ दोला जी सुथार (2) श्री वरदीचंद सुथार पुत्र स्व. श्री दौलतराम उर्फ़ दोला जी सुथार (3) श्री ओमप्रकाश सुथार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सुथार (4) श्री राकेश सुथार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सुथार (5) दुर्गा सुथार पुत्री स्व. श्री मोहनलाल सुथार समस्त निवासियान– गाँव– तितरडी सुथारों का मोहल्ला, तह.– गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज.) (6) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री मुकेश गौड़ अधिवक्ता वादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णित कर डिक्री किया जाता है कि दौला पिता लाला के वारिसान खेमराज पुत्र दौला, मोहनलाल पुत्र दौला, वरदीचन्द पुत्र दौला के नाम साबिक आराजी नम्बर 276 रकबा 15 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 2030 रकबा 0.1600 हैक्टयर **राजस्व ग्राम तितरड़ी, पटवार मण्डल तितरड़ी, सम्वत् 2074 से 2077 तहसील गिर्वा खाता संख्या 155 के आराजी नम्बर 2030 क्यारा रकबा 0.1600 हैक्टयर किस्म कु. द्वितीय 0.0600 बीड़ द्वितीय 0.1000 हैक्टयर लगान 1.56 रूपये जो प्रतिवादीगण खेमराज पुत्र दौला हिस्सा 1/3 जाति सुथार , मोहनलाल पुत्र दौला हिस्सा 1/3 जाति सुथार, वरदीचन्द पुत्र दौला हिस्सा 1/3 जाति सुथार की बजाय डालु उर्फ डालचन्द वल्द भीमा के वारिसान जो वादीगण है, जिसके 7 पुत्र देवकिशन, हमेरलाल, जमनालाल, लक्ष्मीलाल, भेरूलाल, हेमन्त कुमार एवं सतीश कुमार है। देवकिशन** के फौत हो जाने से उनके वारिसान **पुत्र गोवर्द्धन लाल, विष्णुशंकर, श्यामसुन्दर, भगवतीलाल, ना[illegible] एवं पुत्री लीलाबाई तथा पत्नि**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested

पन्नाबाई है। हमेरलाल के फौत हो जाने से उनके पुत्र **शांतिलाल, पुत्री मोहनीदेवी एवं पत्नि भंवरीदेवी है**। **भेरूलाल** के फौत हो जाने से पुत्र **दिनेश कुमार ,सुरेश कुमार एवम् पुत्री ललिता सुथार व प्रमिला सुथार है तथा पत्नि सुशीला सुथार है। जमनालाल** के फौत हो जाने से उनके **पुत्र चुन्नीलाल, व पुत्र हुकमीचन्द है एवम् जमनालाल की दो पुत्री बृजकुमारी एवं पुष्पाकुमारी है। । जमनालाल के पुत्र हुकमीचन्द के भी फौत हो जाने से उनके पुत्र राकेश एवं पत्नि हेमलता है। स्वर्गीय डालु उर्फ डालचन्द के तीन पुत्र लक्ष्मीलाल, हेमन्त कुमार व सतीश कुमार जो वर्तमान में जीवित है।** अतः डालु के वारिसानों जो सभी वादीगण है, जिनको खातेदार घोषित किया जाता है एवम् प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार डिक्री अनुसार डालु उर्फ डालचन्द पिता भीमा के सभी वारिसानों का हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा ..... को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:52 IST
Reason: SelfAttested